फर्द अहकाम

2021/255

घाटूराम बनाम नाथूराम

ालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 129/21

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/11/21	वादी का वादकार्यवाही के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण के वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट के पेश किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस से कार्यवाही जाकर पत्रावली दिनांक 13.12.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	DN 2423-32 24/11/21
13/12/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प मुण्डली में पेश हुई। प्रतिवादी जगदीश उपस्थित। प्रतिवादी को वाद पत्र पर सुना गया पत्रावली के अवलोकन से वकील वादी द्वारा पेश सं. 15 में यह वर्णित किया है कि 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र वाद पत्र पेश करने की अनुमति हेतु अलग से पेश है परन्तु वकील वादी ने उक्तानुसार 80(2) CPC का प्रार्थना पत्र पत्रावली में शामिल नहीं किया है। वादी ने वाद ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सरकार से घोषणा की डिक्री चाही है वादी को सरकार से राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती से पहिले सरकार को नोटिस देना चाहिए एवं 80(2) CPC का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से वादी द्वारा न तो 80(2) CPC का नोटिस दिया है एवं नाही प्रार्थना पत्र पेश किया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा वाद ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण दस्तावेज न पेश करने अभाव में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है	

फर्द अहकाम

2021/255

दानूराम बनाम नानगा

(न्या)लय : सहायक कलक्टर, बस्सी

(वा)द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 129/21

(दि)नांक आज्ञा (य)ा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/11/21	वादी का वादपत्र वादी के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण के वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट के पेश किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस से कार्यवाही जाकर पत्रावली दिनांक 13.12.21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	DR 2423-32 24/11/21
13/12/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प मु० डूंगरी में पेश हुई। प्रतिवादी जगदीश उपस्थित। प्रतिवादी को वाद पत्र पर सुना गया। पत्रावली के अवलोकन से वकील वादी द्वारा पेश सं. 15 में यह वर्णित किया है कि 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र वाद पत्र पेश करने की अनुमति हेतु अलग से पेश है परन्तु वकील वादी ने उक्तानुसार 80(2) CPC का प्रार्थना पत्र पत्रावली में शामिल नहीं किया है। वादी ने वाद ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सरकार से घोषणा की रिलीफ चाही है। वादी को सरकार से राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती से पहिले सरकार को नोटिस देना चाहिए एवं 80(2) CPC का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से वादी द्वारा न तो 80(2) CPC का नोटिस दिया है एवं नहीं प्रार्थना पत्र पेश किया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा वाद ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण दस्तावेजात न पेश करने अभाव में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है [signature] सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	